न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आमिर उल शफि खान आई.ए.एस.

ण संख्या 23/2019

उनवान

. धर्मचन्द पिता श्री शोभा लाल मेहता निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
. श्रीमति पुष्पा पत्नी श्री दिनेश मेहता निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
. पारसमल पिता श्री शोभा लाल मेहता निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
. शेफली पिता श्री दिनेश मेहता आयु नावालिक प्राकृतिक संरक्षिता माता श्रीमति पुष्पा पत्नी श्री दिनेश मेहता निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
. श्रीमति शांता पत्नी वसन्त कुमार मेहता निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
. शिखा पिता श्री दिनेश मेहता निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
. सुरभी पिता श्री दिनेश मेहता आयु नावालिक प्राकृतिक संरक्षिता माता श्रीमति पुष्पा पत्नी श्री दिनेश मेहता निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 25.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम के तहत इस कार्यालय में दिनांक 10.05.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम मंगरोप पटवार मंगरोप भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी 581/470 रकबा 0.7966, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण । प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। ? प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.05.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 01 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के । उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना : प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते तेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार व में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व त किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर आवेदन वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है । मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते वे भूमि आराजी नम्बर 581/470 रकबा 0.7966, भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/– प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदसयगी क्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned by CamScanner